न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 6/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. भींवाराम
2. मदनलाल
3. लालचन्द

} पुत्रगण भेभाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण हनुमानपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. **श्री भवानी सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण की ओर से।**

नि र्ण य दिनांक – 09.10.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता व रामदेवाराम की खरीदशुदा कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 819, 820, 821, 822 किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 175, 185 ता 187, 189 ता 194, 198 ता 203, 205 ता 210 किता 22 कुल रकबा 10.91 हैक्टर वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों की पूर्व खातेदार श्रीमति ज्यानकी देवी पत्नि स्व. जगन्नाथ सें सम्पूर्ण कृषि भूमियों का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता भेभाराम व रामदेवाराम ने दिनांक 16.06.1990 को जरिये विक्रय विलेख क्रय किया था। एवं उसी दिन विक्रय पत्र पंजीकृत होकर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण संख्या 1387 नामांतरण पंजीका ग्राम खाटूश्यामजी तस्दीक किया गया जिसमें उक्त वर्णित भूमियों का 1/2 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार वादीगण के पिता भेभाराम व रामदेवाराम पुत्र रायमल अंकित किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खतोनी संवत् 2039–2047 बनाते समय राजस्व लेखक की गलती से भेभाराम, रामदेवाराम पुत्रगण रायमल की जगह पिता का नाम रामपाल गलत रूप से अंकित किया गया। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

जमाबंदी खतोनी संवत 2044—2047 बनाते समय राजस्व लेखक की दूसरी भूल हो गई उसने भेभाराम की जगह भोमाराम गलत रूप से अंकित कर दिया तथा पूर्ववत पिता का नाम रायमल की जगह रामपाल अंकित कर दिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांकित 18.06.1980 व नामांतरण संख्या 1387 में सही रूप से रामपाल, भेभाराम पुत्रगण रायमल सही रूप से अंकित होते हुए भी राजस्व कर्मियों ने भूलवश या गलती से भेभाराम की जगह भोमाराम व पिता का नाम रायमल की जगह रामपाल अंकित कर दिया गया। उक्त गलती राजस्व लिपिक की भूल से हुई है जिसको दुरूस्त किया जावे। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 819, 820, 821, 822 किता 4 कुल रकबा 43 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 175, 185 ता 187, 189 ता 194, 198 ता 203, 205 ता 210 किता 22 कुल रकबा 10.91 हैक्टर वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में भोमाराम पुत्र रामपाल विलोपित किया जाकर भेभाराम पुत्र रायमल अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। सहखातेदार गोपाल लाल कुमावत पुत्र केशरा के बयान लिये गये। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा आग्रह किया कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमियों में भोमाराम के स्थान पर भेभाराम तथा रामपाल के स्थान पर रायमल दुरूस्त किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2044—47 में पिता का नाम रायमल के स्थान पर रामपाल हुआ है जो जो नामांतरण के अनुसार दर्ज नहीं हुआ है। प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी संलग्न पुरानी जमाबंदी संवत 2039—42, नामांतरण संख्या 1387, विक्रय पत्र के अनुसार रामदेव पुत्र रामपाल हि0 1/4, भोमाराम पुत्र रामपाल हि0 1/4 के स्थान पर रामदेवराम पु0 रायमल हि0 1/4 व भेभाराम पु0 रायमल हि0 1/4 दर्ज किया जाना सही है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा उक्त वर्णित विक्रय पत्र, नामांतरण संख्या 1387 व पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी/आवेदक का**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 175, 185 ता 187, 189 ता 194, 198 ता 203, 205 ता 210 किता 22 कुल रकबा 10.91 हैक्टर में रामदेव पुत्र रामपाल हि0 1/4, भोमाराम पुत्र रामपाल हि0 1/4 के स्थान पर रामदेवराम पु0 रायमल हि0 1/4 व भेभाराम पु0 रायमल हि0 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner